न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 18/2023

दायर दिनांक–06.02.2023

1. मुश्ताक अली पुत्र श्री रमजान अली जाति काजी निवासी चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं।

–वादी

बनाम

1. भंवर
2. नबाब
3. सब्बीर पुत्रान् रमजान जाति काजी निवासी चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं।
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी :– श्री आनन्दी लाल सैनी
वकील प्रति. :– एकपक्षीय

दावा बाबत घोषणार्थ व
दुरूस्ती रिकॉर्ड

–:: निर्णय ::–

दिनांक–10.07.2023

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– राजस्व ग्राम बागोरिया की ढाणी पटवार हल्का चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं में स्थित भूमि खाता संख्या नया 363 पुराना 288 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 1783 रकबा 0.800 है0, खसरा नम्बर 1784 रकबा 0.4200 है0, खसरा नम्बर 1785 रका 0.2400 है0 खसरा नम्बर 1801 रकबा 0.2000 है0, खसरा नम्बर 1812 रकबा 0.3100 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.2500 है0 भूमि स्थित है। जिसे आगे वाद पत्र में विवादित भूमि के नाम से दर्ज व संबोधित किया गया है। अलादीन व उसकी पत्नी फौत हो चुके है जिनका एकमात्र वारिस रमजान है तथा रमजान व उसकी पत्नी ईलायची की भी मृत्यु हो चुकी है। अलादीन का सजरा खानदान निम्न प्रकार है।

अलादीन (फौत) बुआ बानो पत्नी अलादीन (फौत)
↓
रमजान (फौत) ईलायची पत्नी रमजान (फौत)
↓
भंवर मुश्ताक नबाब सब्बीर

विवादित भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के कब्जे व काश्त की भूमि है जो सभी सामलाती रूप से काश्त करते है जिसका कोई विवाद नही है। वर्तमान जमाबंदी के अनुसार मुश्ताक का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 1/5–1/5 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जबकि जमाबंदी में रमजान पुत्र नजीर का नाम गलत अंकित कर दिया गया है [illegible] रमजान पुत्र नजीर नाम का कोई व्यक्ति नही है। इसलिए रमजान पुत्र नजीर का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाना न्यायोचित है। रमजान की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 है जबकि उपरोक्त वर्णित भूमि दिनांक 23.02.196[illegible] पत्र अलादीन पुत्र वजीर [illegible] पुत्र अलादीन व भंवर, मुश्ताक अली पुत्र रमजान ने क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। इसके पश्चात जमाबंदी में भूमि क्रेतागण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड अंकित हो गया तब से लगातार इनका कब्जा व काश्त चला आ रहा है जो तस्दीक वर्ष 1985 में बना राजस्व रिकॉर्ड पुराने खसरा नम्बर 4066 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 4067 रकबा 0.42 है0 खसरा नम्बर 4084 रकबा 0.20 है0 खसरा नम्बर 4085 रकबा 0.31 है0 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:12:23 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

10

किता 5 कुल रकबा 1.25 है0 पूर्ण रूप से सही चला इसके पश्चात सम्वत् 2055 से 2058 में रकबा तो सही लिखा गया लेकिन नाम में भंवर, मुश्ताक अली, रमजान, अलादीन पुत्र नजरी, रमजान पुत्र अलादीन कर दिया गया जो गलत दर्ज किया गया है इसके बाद से लगातार राजस्व रिकॉर्ड गलत चला आ रहा है। मुताबिक विक्रय पत्र के अनुसार आधार वर्ष 1985 में रिकॉर्ड चला आ रहा था उसको अचानक गलत अंकित कर दिया गया। जिसको दुरूस्त किया जावें इसलिए पुराने राजस्व रिकॉर्ड व विक्रय पत्र के मुताबिक भंवर पुत्र रमजान का 1/4 हिस्सा है व अलादीन पुत्र वजीर का 1/4 हिस्सा तथा रमजान पुत्र अलादीन का 1/4 हिस्सा खरीदशुदा है उसी के मुताबिक उनके वारिसान को हक व हिस्सा मिलना चाहिए था जो रिकॉर्ड में गलत कर दिया गया वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को मुताबिक विक्रय पत्र को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है इसलिए उक्त वाद बाबत घोषणार्थ श्रीमानजी की सेवामें पेश करना आवश्यक हुआ। उपरोक्त वर्णित भूमि में जो राजस्व रिकॉर्ड गलत अंकित कर दिया गया उसको मुताबिक पूर्व जमाबंदी एवं विक्रय पत्र के अनुसार दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है इसलिए उक्त वाद बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती का पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर न्यायालय हाजा की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्नानुसार सादिर फरमायी जावें कि:– राजस्व ग्राम बागोरियां की ढाणी, पटवार हल्का चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं में स्थित भूमि खाता संख्या नया 363 पुराना 288 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 1783 रकबा 0.0800 है, खसरा नम्बर 1784 रकबा 0.4200 है0 खसरा नम्बर 1785 रकबा 0.2400 है0 खसरा नम्बर 1801 रकबा 0.2000 है0 खसरा नम्बर 1812 रकबा 0.3100 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.2500 है0 में से वादी को 3/8 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 3/8 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को 1/8–1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर जमाबंदी में जो अंकन गलत कर दिया गया है उसे दुरूस्त किया जावें। मुताबिक विक्रय पत्र व पूर्व में विक्रय पत्र के आधार पर बना राजस्व रिकॉर्ड जो सही है जो आगे जमाबंदी में गलत अंकन कर दिया गया है एवं रमजान का नाम दो बार अंकित कर दिया गया है जबकि रमजान पुत्र नजीर गलत है इस नाम का कोई व्यक्ति इनके परिवार का कोई सदस्य नही है इसलिए इनको हजफ किया जाकर गलत अंकित रिकॉर्ड को दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमाया जावें।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने बाद अवलोकन दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगा0 03 ने उपस्थित न्यायालय होकर ईकबालिया जबाब दावा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 04 की तामिल सम्यक रूप होने पर इनके ओर से कोई उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही व ईकबालिया जबाब दावा पेश होने पर प्रकरण में विवाद्यक बनाये जाने की आवश्यकता नही रह जाती है।

साक्ष्य वादी में स्वयं वादी मुश्ताक अली पुत्र रमजान, भंवर अली पुत्र रमजान, भुदरमल सैनी पुत्र हरदेवाराम उपस्थित होकर चीफ का सपथ पत्र पेश किया तथा अपने वाद–पत्र के संबंध में प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी संवत 2075–2078, प्रदर्श 2 नकल विक्रय पत्र, प्रदर्श 3 नकल जमाबंदी संवत 2029–2032, प्रदर्श 4 नकल जमाबंदी संवत 2033–2036, प्रदर्श 5 नकल जमाबंदी संवत 1995, प्रदर्श 6 नकल जमाबंदी संवत 2055–2058, प्रदर्श 7 नकल मिलान क्षैत्रफल संवत् आदि दस्तावेजात प्रदर्शित करवायें।

शहादत वादी पेश होने के पश्चात बहस वकील वादी सुनी गई। बहस का मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार राजस्व ग्राम बागोरियां की ढाणी, पटवार हल्का चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं में स्थित भूमि खाता संख्या नया 363 पुराना 288 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 1783 रकबा 0.0800 है, खसरा नम्बर 1784 रकबा 0.4200 है0 खसरा नम्बर 1785 रकबा 0.2400 है0 खसरा नम्बर 1801 रकबा 0.2000 है0 खसरा नम्बर 1812 रकबा 0.3100 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.2500 है0 में से वादी को 3/8 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 3/8 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को 1/8–1/8 हि[illegible]दार काश्तकार घोषित किया जाना तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रमजान पुत्र [illegible] रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित प्रतीत होता [illegible] स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:12:23 IST
Reason: SelfAttested

:: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम बागोरियां की ढाणी, पटवार हल्का चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं में स्थित भूमि खाता संख्या नया 363 पुराना 288 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 1783

ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ

रकबा 0.0800 है, खसरा नम्बर 1784 रकबा 0.4200 है0 खसरा नम्बर 1785 रकबा 0.2400 है0 खसरा नम्बर 1801 रकबा 0.2000 है0 खसरा नम्बर 1812 रकबा 0.3100 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.2500 है0 में से वादी को 3/8 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 3/8 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को 1/8–1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रमजान पुत्र नजीर का नाम हजफ किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 10.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर व
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:12:23 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ मुकाम
बईजलास नवलगढ़ दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
व रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 18 / 2023 **(मुश्ताक अली बनाम भंवर आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक **10.07.2023** निर्णय के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम बागोरियां की ढाणी, पटवार हल्का चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं में स्थित भूमि खाता संख्या नया 363 पुराना 288 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 1783 रकबा 0.0800 है, खसरा नम्बर 1784 रकबा 0.4200 है0 खसरा नम्बर 1785 रकबा 0.2400 है0 खसरा नम्बर 1801 रकबा 0.2000 है0 खसरा नम्बर 1812 रकबा 0.3100 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.2500 है0 में से वादी को 3/8 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 3/8 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को 1/8–1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रमजान पुत्र नजीर का नाम हजफ किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगें।

जिन............–............ मुबलिग............–............बाबत......–............खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–....... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.........का अदा करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10.07.2023 को जारी की गई।

(दमयंती कंवर)(फा. ट्रे.)
ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुददई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	06.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	04.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	16.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:12:23 IST
Reason: SelfAttested